डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

1. हरिचरण पुत्र हजारी मीना
2. सियाराम पुत्र हजारी मीना
3. शिवसिंह पुत्र हजारी मीना
4. रामपति पत्नि स्व0 हजारी मीना
   जातियान मीना निवासी रानौली तहसील टोडाभीम जिला करौली (वादीगण)

बनाम

1. श्रीराम पुत्र किशोरी मीना
2. रामस्वरूप पुत्र हरभजन मीना
   जातियान मीना निवासी रानौली तहसील टोडाभीम जिला करौली।
3. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।
4. बी.आर.के.जी.बी.श्रीमहावीरजी। (प्रतिवादीगण)

दावा बावत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0 111/2019

उप जिला कलेक्टर ... राज0

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री रामअवतार शर्मा एडवोकेट, मिनकानिब मुदई रूबरू .... हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। कि

अतः यह दावा आंशिक रूप से डिकी किया जाता है कि ग्राम रानौली की आराजी ख0न0 1680 रकवा 0.23 है0 मे श्रीराम पुत्र किशोरी की खातेदारी हजफ कर वादीगण हरिचरण, सियाराम, शिवसिंह पि0 हजारी, रामपति पत्नि हजारी जाति मीना निवासी रानौली हि.ब. को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त की आराजीयात मे मजाहमत मदाखलत नही करे।

निज....................मुवलिग..........................वावत.........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक...............अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 18.02.2021 को जारी की गई।

18/2/21
(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला–करौली

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

तारीख रजू:– 20.09.2019

मु0न0:– 111/2019

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

1. हरिचरण पुत्र हजारी मीना
2. सियाराम पुत्र हजारी मीना
3. शिवसिंह पुत्र हजारी मीना
4. रामपति पत्नि स्व0 हजारी मीना
   जातियान मीना निवासी रानौली तहसील टोडाभीम जिला करौली

(वादीगण)

बनाम

1. श्रीराम पुत्र किशोरी मीना
2. रामस्वरूप पुत्र हरभजन मीना
   जातियान मीना निवासी रानौली तहसील टोडाभीम जिला करौली।
3. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।
4. बी.आर.के.जी.बी.श्रीमहावीरजी।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति :– श्री रामअवतार शर्मा एडवोकेट (वादीगण)

न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज0

निर्णय

दिनांक:– 18.02.2021

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रानौली कि आराजी ख0 नं0 889 रकबा 0.18 हैक्टेयर में प्रतिवादी नं0 2 के पिता हरभजन पुत्र छन्ना के नाम दर्ज है।

आराजी ख0नं0 1299 रकबा 0.11 है0, 1406 रकबा 0.15 है0, 16 रकबा 0.21 है0, 1680 रकबा 0.23 है0, 1956 रकबा 0.16 है0 203/2431 रकबा 0.07 है0 2611/1965 रकबा 0.13 है0, 774 रकबा 0.11 है0, 779 रकबा 0.16 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 1.3 हैक्टेयर ग्राम रानोली में स्थित है। जो प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज है।

यह कि आराजी ख0 नं0 1293 रकबा 0.10 है, 1404 रकबा 0.08 है0, 1405 रकबा 0.0.8 है0, 144 रकबा 0.34 है0, 1677 रकबा 0.19 है0 1965 रकबा 0.13 है0, 775 रकबा 0.22 है0 कुल किता 7 रकबा 1.14 है0 ग्राम रानौली में स्थित है। जो वर्तमान में प्रतिवादी नम्बर 2 हरभजन पुत्र धन्ना के नाम दर्ज है।

यह है कि आराजी ख0नं0 142 रकबा 0.26 है0, 142/2428 रकबा 0.08 है0, 572 रकवा 0.21 हैक्टेयर कुल किता 3, कुल रकबा 0.55 हैक्टेयर ग्राम रानौली, तह0 टोडाभीम में स्थित है। उक्त आराजी की खातेदारी वर्तमान में प्रतिवादी नम्बर 2 के पिता हरभजन पुत्र धन्ना के नाम दर्ज है।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-करौली

यह है कि अराजीयात मुतजिक्रा मद नं0 1 में वर्णित आराजी ख0नं0 889, मद नं0 2 में वर्णित आराजी ख0 नं0 1680, 774 तथा मद नं0 3 में वर्णित आराजी ख0नं0 1677, 1404, 1405, 1965 तथा मद नं0 4 में वर्णित आराजी ख0नं0 572 जिनको सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा साविक ख0नं0 991/2, 971, 598/2 1293/1, 1293/2, 691/1 व 353 से बना है तथा उक्त साविक नम्बरो को दसशाला सेटिमेन्ट में साविक नं0 894, 883, 558, 1183, 639, व 323/1 से बने है।

यह है कि आराजीयात मुतजिक्रा मद नं0 1 लगायत 4 में वर्णित आराजी में से ख0नं0 889 रकबा 0.18 है0, 1677 रकबा 0त्र19 है0 1680 रकबा 0.23 है0, 1365 रकबा 0.13 हैक्टेयर सम्पूर्ण तथा ख0नं0 572 के 1/4 हिस्से पर काबिज है। जबकि उक्त आराजी खातेदारी वर्तमान में प्रतिवादीगण के नाम है। लेकि कब्जा प्रतिवादीगण का है। वादीगण एवम् प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। इसलिये कब्जा पूर्वानुसार ही चला आ रहा है तथा यह तुम पचास लाख के बदस्तुर रहा है। उक्त आराजी पूर्व में वादीगण के बुजुर्ग तथा शामलाती रही है।

यह कि वादीगण द्वारा एक दावा श्रीराम बनाम हरिचरण इस सम्मानीय अदालत में प्रस्तुत है। जिसमें कब्जें रिपोट। तलब की गई है। जिसमें वादीगण की खातेदारी भूमि प्रतिवादीगण के कब्जे में पायी गई। वादीगण द्वारा पटवारी हल्का से उक्त आराजी जो प्रतिवादीगण की खातेदारी में है। लेकिन वादीगण के कब्जे में है कि रिपोर्ट ले जाने को कहा तो उन्होने मना कर दिया कि मुझे तो इन नम्बरो का ही आदेश है, इसलिये दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

वाका दिनांक 16.09.2019 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से खातेदारी कराने को कहा तो उन्होने कहा कि तुम दावा कर दो। हम वही पर बयान करेगें, तहसील में नहीं जायेगें। इसलिये दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाई जाकर इस आशय की घोषणा की जावें कि खसरा नम्बर 1680 रकबा 0.23 है0 774 रकबा 0.11 है0 से प्रतिवादी नम्बर 1 का हजफ फरमाया जावें तथा ख0न0 889 रकबा 0.18 है0 1677 रकबा 0.19 है0 1404 रकबा 0कृ8 है0, 1405 रकबा 0.08 है0, 1405 रकबा 0.08 है, 1965 रकबा 0.13 है0, 572 रकबा 0.21 हैक्टेयर से प्रतिवादी नम्बर 2 के पिता हरभजन का नाम खातेदारी से हजफ फरमाया जाकर ख0नं0 1680, 774, 889, 1677, 1404, 1405, 1965 के सम्पूर्ण भाग का तथा ख0नं0 572 के 0.05 हैक्टेयर ग्राम रानौली की खातेदारी वादीगण बहिस्सा बराबर की जावें। व वादीगण के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश कियाकि विवादग्रस्त आराजीयात पर खातेदारी व कब्जा अलग–अलग है इसलिये राजीनामा मे यह तय किया गया है कि ख0न0 1680/0.23, 774/0.11, मे से प्रतिवादी न0 1 श्रीराम पुत्र किशोरी का नाम हजफ कर, तथा ख0न0 889/0.18, 1677/0.19, 1404/0.08, 1405/0.08, 1965/0.13, 572/0.21 मे से प्रतिवादी न0 2 के पिता हरभजन के नाम हजफ कर उक्त आराजी ख0न0 1680, 774, 889, 1677, 1404, 1405, 1965 ग्राम रानौली की खातेदारी वहिस्सा बराबर खातेदारी कायम कर देवे, क्योकि उक्त आराजी पर बुजुर्गो के

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला–करौली

समय से वादीगण एवं उनके बुजुर्ग काबिज है तथा ख0न0 572 रकवा 0.21 मे से 0.05 है0 का वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार है। मुकदमे के राजीनामा अनुसार दावा डिकी किये जाने मे कोई आपत्ति नही है। क्योकि ऐसी अन्य आराजी जो वादीगण के नाम है लेकिन खातेदारी नही होकर प्रतिवादीगण के कब्जे मे है तथा उक्त मुकदमे मे भी राजीनामा हो गया है उक्त राजीनामा के मुताबिक जो आराजी वादीगण के नाम है लेकिन कब्जा प्रतिवादीगण का है वह आराजी प्रतिवादीगण के नाम किये जाने मे भी वादीगण को परेशानी नही है। मुताबिक राजीनामा डिकी फरमाया जावे।

वादपत्र 29/08 के समर्थन मे मिसल हकीयत बन्दोबस्ती मौजा रानौली सम्वत 1984 प्रदर्श–1, नकल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2000–19 प्रदर्श–2, मिसल हकीयत बन्दोबस्ती मौजा रानौली सम्वत 1984 प्रदर्श–3, नकल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2000–2019 प्रदर्श–4, नकल खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2000–2019 प्रदर्श–5, फर्द मुताबिकत नम्बरान साबिक व हाल सम्वत 2000–2019 प्रदर्श–6, फर्द मुताबिकत नम्बरान साबिक व हाल सम्वत प्रदर्श–7, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 प्रदर्श–8 किता 10, नकल जमाबन्दी सम्वत 2063–66 प्रदर्श–9, नकल जमाबन्दी सम्वत 2063–66 प्रदर्श–10, नकल जमाबन्दी सम्वत 2063–66 प्रदर्श–11 किता 3, शपथ पत्र वादी श्रीराम, गवाह मूडीलाल, पेश किये। प्रतिवादी साक्ष्य मे प्रतिवादी हरिचरण, सियाराम, शिवसिंह के शपथ पत्र पेश किये।

पक्षकारान ने राजीनामा इस प्रकार पेश किया कि ग्राम रानौली की आराजी ख0न0 773/0.10, 1963/0.26, 1974/0.22 की सम्पूर्ण खातेदारी प्रतिवादी न0 1 ता 4 के नाम हजफ कर वादी न0 1 को खातेदार घोषित किया जावे। ,ख0न0 1463/0.10, मे वादी न0 1 का 1/2 हिस्सा अर्थात प्रतिवादी न0 1 ता 4 के 1/2 हिस्से के, तथा ख0न0 1462/0.08, 1467/0.06, 1468/0.05 मे से प्रतिवादी न0 1 ता 4 का नाम हजफ कर वादी न0 1 का 1/2 हिस्सा व वादी न0 2/1 का 1/2 हिस्सा, तथा ख0न0 1566/0.46 मे वादी न0 1 का 1/2 प्रतिवादी न0 1 ता 4 का 1/2 हिस्सा, ख0न0 555/0.11, 560/0.22 मे वादी न0 1 का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी न0 1 ता 4 का 1/2 हिस्सा, ख0न0 1988/0.19 मे प्रतिवादी न0 1 ता 4 का नाम खातेदारी से हजफ करे वादी न0 1 के नाम खातेदारी दर्ज की जावे तथा ख0न0 2005/0.19, 2007/0.21 मे प्रतिवादी न0 1 ता 4 का नाम हजफ कर वादी न0 2/1 रामस्वरूप के नाम खातेदारी दर्ज की जावे। ख0न0 559/0.09 प्रतिवादी न0 1 ता 4 का रहेगा। ख0न0 584/0.18, 567/0.10 मे प्रतिवादी न0 1 ता 4 का नाम हजफ कर वादी न0 1 को खातेदार घोषित किया जावे क्योकि मुताबिक राजीनामा वादीगण एवं प्रतिवादी न0 1 ता 4 काबिज एवं दखिल चले आ रहे है। मुताबिक राजीनामा दावा डिकी किया जावे। तथा बैक से जो ऋण प्रतिवादी न0 1 ता 4 ने लिया है। उसको अदा करने की जिम्मेदारी इन्ही की होगी।

वादी वकील ने राजीनामे के अनुसार दावा डिकी करने का कथन किया। वादी वकील की बहस पर मनन करते हुये पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया। ग्राम रानौली की मिसल हकीयत बन्दोबस्ती सम्वत 1984 के अनुसार आराजी ख0न0 883 रकबा 16 बिस्वा की खातेदारी फूलचन्द बल्द रामसुखा कौम मीना सा.देह के नाम दर्ज है, जो वादीगण के बुजुर्गान है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल इसके नवीन ख0न0 971 रकवा 16 बिस्वा कायम किये गये। मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 के

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला–करौली

अनुसार ख0न0 971 मिन. से नवीन ख0न0 1680 रकवा 0.23 है0 बने है। जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 359 मे ख0न0 1680 रकवा 0.23 है0. की खातेदारी प्रतिवादी श्रीराम पुत्र किशोरी के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त रिकार्ड के अनुसार ख0न0 1680 रकवा 0.23 है0 की खातेदारी वादीगण के नाम होनी चाहिये। वादपत्र मे वर्णित अन्य आराजीयात के बावत वादीगण की ओर से प्रस्तुत साबिक रिकार्ड रिकार्ड से चाहा गया अनुतोष प्रमाणित नही होता है। महज राजीनामा प्रस्तुत कर दावा डिक्री कराना चाहा है। प्रथम दृष्टया पत्रावली मे प्रस्तुत रिकार्ड से दावा पूर्णतया प्रमाणित नही होता है तथा मनमाफिक राजीनामा पेश कर वादीगण का उद्वेश्य राज्य सरकार को हानि पहुचाना रहा है। आराजी ख0न0 1680 रकवा 0.23 है0 की खातेदारी साबिक रिकार्ड से प्रमाणित होने के कारण वादीगण के नाम किया जाना उचित पाता हूँ। तथा शेष ख0न0 ख0 नं0 889 रकबा 0.18, खं0नं0 1299 रकबा 0.11 है0, 1406 रकबा 0.15 है0, 16 रकबा 0.21 है0, 1680 रकबा 0.23 है0, 1956 रकबा 0.16 है0 203/2431 रकबा 0.07 है0,2611/1965 रकबा 0.13 है0, 774 रकबा 0.11 है0, 779 रकबा 0.16 है0, खं0नं0 142 रकबा 0.26 है0, 142/2428 रकबा 0.08 है0, 572 रकबा 0.21 हैक्टेयर, ख0 नं0 1293 रकबा 0.10 है, 1404 रकबा 0.08 है0, 1405 रकबा 0.0.8 है0, 144 रकबा 0.34 है0, 1677 रकबा 0.19 है0 1965 रकबा 0.13 है0, 775 रकबा 0.22 है0 के बावत प्रस्तुत साबिक रिकार्ड से वादीगण का दावा प्रमाणित नही होता है। राजीनामे के आधार पर निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित नही है। राजीनामा भी राज्य सरकार को राजस्व हानि पहुचाने की दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है।

अतः यह दावा आंशिक रूप से डिक्री किया जाता है कि ग्राम रानौली की आराजी ख0न0 1680 रकवा 0.23 है0 मे श्रीराम पुत्र किशोरी की खातेदारी हजफ कर वादीगण हरिचरण, सियाराम, शिवसिंह पि0 हजारी, रामपति पत्नि हजारी जाति मीना निवासी रानौली हि.ब. को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त की आराजीयात मे मजाहमत मदाखलत नही करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.2.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

18/2/21

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी/उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम जिला करौली

उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज०